

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं०****संख्या-842 वर्ष 2022**

चंद्रपाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हेमंत कुमार पांडे, निशांत मिश्र, योगेश्वर शरण
श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

द्वितीय बार प्रकरण को सुनवाई हेतु पुकार तलब किया गया। वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देने के लिए आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए मौजूद हैं।

वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने प्रार्थना की है कि पुलिस स्टेशन - कोतवाली शहर, जिला हरदोई में भा०दं०सं० की धारा 406, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट./अपराध संख्या 0007/2021 में गिरफ्तारी की स्थिति में उसे अग्रिम जमानत दी जाए।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने 02.06.2022 के आदेश के ज़रिए आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वाई एस श्रीवास्तव को सुना, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और पत्रावली का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने प्रार्थना की है कि पुलिस स्टेशन - कोतवाली शहर, जिला हरदोई में भा०दं०सं० की धारा 406, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या 0007/2021 में गिरफ्तारी की स्थिति में उसे अग्रिम जमानत दी जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक ट्रक नंबर यू पी 21 सी एन-9595 चला रहा था जिसे परिवहन विभाग ने रोक लिया था और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। ट्रक को छुड़ाने के लिए ट्रक के मालिक ने कथित तौर पर 85,000/- रुपये की फर्जी रसीद पेश की, जिसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया और ट्रक को छुड़ा लिया गया। इसके बाद भा०दं०सं० की धारा 467 भी शामिल की गई।

4. आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक केवल वाहन चला रहा था और 85000/- रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा करने या उक्त रसीद प्राप्त करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, जो कि परिवहन कंपनी के मालिक/प्रबंधक द्वारा किया गया बताया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में सहयोग करने का वचन देता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का मामला स्पष्ट रूप से सह-अभियुक्त रविल के मामले से अलग है, जो कथित मालिक है और उक्त ट्रक की रिहाई के लिए प्रस्तुत किए गए मनगढ़ंत झूठे दस्तावेजों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। प्रथम दृष्टया आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में दम है।

5. अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है। हालाँकि, मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया जा सका। वह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रार्थना करता है और उसे जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।

6. इस मामले को 29.06.2022 को सूचीबद्ध करें।

7. मामले के उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए और मामले की योग्यता, आरोपों की प्रकृति और आवेदक के पूर्ववृत्त पर विचार किए बिना, आवेदक को भा०दं०प्र०सं० की धारा 438 के तहत अंतरिम सुरक्षा देना उचित होगा। समानता के आधार पर और "श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 656" मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, आवेदक को दी जाने वाली अग्रिम जमानत के संबंध में भविष्य की आकस्मिकताओं का भी शीर्ष अदालत के पूर्वोक्त फैसले के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

8. सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, आरोपी-आवेदक, अर्थात् चंद्रपाल, को उपरोक्त मामले के अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की स्थिति में, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/जांच अधिकारी/एस.एच.ओ. की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) आरोपी-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(ii) आरोपी-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(v) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में निचली अदालत को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

9. आरोपी/आवेदक की ओर से पुलिस अधिकारी को जमा किए गए जमानत संबंधी कागजात केस डायरी का हिस्सा होंगे और धारा 173(2) भा०दं०प्र०सं० के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उनके साथ संबंधित अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे।

10. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 (संशोधित) के भाग-III, अध्याय- XVIII, नियम- 18[3(ए)] के तहत, जमानत आवेदन की एक प्रति उसके संलग्नकों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, आज से दो दिनों के भीतर, बिना किसी असफलता के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को प्रदान की जाए।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निजी मुचलका और दो जमानतदार दाखिल करने के बाद अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उन्होंने जांच में विधिवत सहयोग किया है। उसने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती है और यदि उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर कि आवेदक ने अदालत द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए वचन के साथ कि वह मुकदमे में सहयोग करेगी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 02.06.2022 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98**, मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पूर्ण बनाया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

मार्च 18, 2026/आरती-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।